(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/ 8 915

Dated: 31-5-11

NOTIFICATION

No. 8(37)/2009/DAM/MR/ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Fish, Poultry and Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, namely:-

AGRICULTURISTS

1. Sh. M. Umar (Pappy) : Member S/o Late Haji M. Rafiq

Haji Mohd. Yaqub Qureshi,
 S/o Late Sh. Nazar Ali

: Member

3. Sh. Lalu Ram Sonkar : Member S/o Sh. Ami Chand (under SC category)

TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTED MEMBER)

Hazi Md. Irfan Qureshi : Member 142, Katia Gokul Shah, Jama Masjid, Delhi.

2. Sh. Zulfiqar Ahmed : Member H.No. 838, Gali No. 4, Chouhan Bangar, Delhi-53.

Klun

REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

 Sh. Shoaeb Danish, Municipal Councilor, Ward No. 205, Zakir Nagar, Delhi

Member

LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS (ELECTED MEMBER)

1. Sh. Ashwani Kumar S/o Sh. Naipal Singh

Member

D-49, Pocket-B, Mayur Vihar, Phase-II, Delhi-110091.

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER

1. Sh. Amrish Singh Gautam, MLA (AC-56) Kondli, Delhi.

Member

GENERAL CONSUMER INTEREST

 Ch. Riyasat Ali S/o Sh. Shoukat Ali

Member

Sh. Syed Irfan Meer
 S/o Late Sh. Syed Hasham Meer

Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the official Gazette. They shall hold office for three years as provided under section 41 of the said Act.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Kailash Chandra) Special Secretary (Development) No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/ 8916-50

Dated: 31-5-11

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

 The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad

The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- 10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.
- 11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
- 12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- 14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 15. Guard file.

(KAILASH CHANDRA) SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं.एफ ४(३७) / २००९ / डी०ए०एम० / एम०आर० / १९१5

दिनांक : 31-5-11

अधिसूचना

सं.एफ 8(37)/2009/डी०ए०एम०/एम०आर०/ दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

कृषक वर्ग

1. श्री एम. उमर (पप्पी) : सदस्य सुपुत्र स्व० हाजी एम. रफीक

2. हाजी मौहम्मद याकूब कुरैशी : सदस्य सुपुत्र स्व0 श्री नाजर अली

3. श्री लालू राम सौनकर : सदस्य सुपुत्र श्री अमी चन्द (अनुसूचित जाति के आधार पर)

व्यापारी और आढ़ती वर्ग (चुने हुये)

हाजी मौ० इरफान कुरैशी : सदस्य
 142, कटिया गोकल शाह, जामा मस्जिद, दिल्ली.

2. श्री जुल्फीकार अहमद : सदस्य म.न. ८३८, गली नं ४, चौहान बांगर, दिल्ली–53.

Hombus

स्थानीय प्राधिकरण वर्ग

 श्री शौअब दानिश, निगम पार्षद, वार्ड न0 205, जािकर नगर, दिल्ली

सदस्य

माप व तौल वर्ग (चुना हुआ)

 श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री नेपाल सिंह डी–49, पॉकेट–बी, मयुर विहार, फेस–2, दिल्ली–110091.

सदस्य

दिल्ली विधानसभा सदस्य

 श्री अमरीश सिंह गौतम, एम.एल.ए. (ए.सी.–56) कोड़ली, दिल्ली

सदस्य

साधारण / उपभोक्ता हितकर वर्ग

 चौ० रियासत अली सुपुत्र श्री शौकत अली

सदस्य

 श्री सैयद इरफान मीर सुपुत्र स्व० श्री सैयद हासम मीर

सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> (कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास)

america 3

सं.एफ 8(37)/2009/डी०ए०एम०/एम०आर०/ ४९ 16- >०

दिनांक : 31-5-11

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- सिचव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सिचवालय, नई दिल्ली।
- स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद विपणन सिमति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन सिमिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन सिमिति, मोरी गेट एवम पुष्प विपणन सिमिति, महरौली, दिल्ली।

11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास)

कामार - पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार